में जारी हुए

6.4.16

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब बावजूद पर्याप्त अवसर देने पर जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अतः जवाब बाद भी पेश नहीं हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता को बंद किया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार पिण्डवाड़ा से रात की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 4528 में से रात के खसरा संख्या 4528 में से रात की जाल गया है जो प्रार्थीगण का रात की आधारिक आवश्यकता है और यह जोत के लिए लाभप्रद उपयोग के लिए नहीं है केवल कृषि लायक उपयोग के लिए रात है वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध रात है ऐसी स्थिति में ग्राम सेडिया-I के आधे ऐसी स्थिति में ग्राम सेडिया-I के ख.नं. 4528 रकबा 03 बिस्वा भूमि खसरा प्रस्तावित नक्शा अनुसार जो लाल रंग से दर्शाया गया है। कुल 03 बिस्वा भूमि पेश राजस्व किया जाना उचित है इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रस्तावित भूमि की DLC दर 92574/- प्रति बिस्वा है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अधि. 251A RTA स्वीकार किया जाता है एवं खसरा संख्या 4528 में से 03 बिस्वा भूमि रात से सिर दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है प्रार्थीगण 03 बिस्वा की विगत राशि रु. 27772/- अक्षरे रुपये सतहत्तर हजार सात सौ बहत्तर राजकोष में जमा करवाने पर खसरा संख्या 4528 रकबा 03 बिस्वा भूमि गैर मुमकीन राजस्व दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवाने पर अप्रार्थीगण को उपर्युक्त हिस्से अनुसार भुगतान किया जावे। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार होकर नम्बर से बदले।

उपखण्ड अधिकारी
पिण्डवाड़ा (सिरोही)